

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल—cfoudn.ukfs@gmail.com,

पत्रांक: न-3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2023

दिनांक अप्रैल 16, 2025

स्वामी/प्रबन्धक

मै0 अल्पाईन कॉन्वेंट स्कूल

ग्राम-पाटन लोहाघाट

चम्पावत।


विषय :- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।


आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं0-92420724 दिनांक 04.04.2025 के अनुसार मै0 अल्पाईन कॉन्वेंट स्कूल ग्राम-पाटन लोहाघाट चम्पावत की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट की निरीक्षण आख्या के अनुसार संस्थान में स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।


निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/**Self Audit Report** इस कार्यालय को ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः मै0 अल्पाईन कॉन्वेंट स्कूल ग्राम-पाटन लोहाघाट चम्पावत को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 16 अप्रैल 2025 से 15 अप्रैल 2028 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

- 1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैंक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- 2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैंक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- 5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- 6 विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।
- 7 संस्थान में की जाने वाली विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 तथा ई0एल0सी0बी0 पर आधारित होगी।
- 8 यदि संस्थान का भण्डारण स्थल अन्यत्र स्थान पर स्थापित हैं, तो उक्त भण्डारण स्थल पर भी मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्थाओं को किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही भण्डारण स्थलों की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


Manager
Alpine Convent School
Lohaghat


Principal
Alpine Convent School
Lohaghat


(संजीव कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
उधमसिंहनगर